मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 05 / 10 /2023

क्र. एफ IPI/5/0069/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स रिलायंस बायो एनर्जी लि. द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में रू. 1495.00 करोड़ के निवेश से कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पादन प्लांट्स (संख्या 10) एवं मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. द्वारा लगभग रू. 45.00 करोड़ के निवेश सघनीकरण प्लांट्स की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2304050001) पर निम्नानुसार सुविधायें दी जायें-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अंतर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 25 प्रतिशत की स्थिर दर से, समस्त गणकों सहित, अधिकतम रू. 300 करोड़ की सीमा तक, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

3. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना अंतर्गत स्थापित विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

4. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इकाई को उपरोक्त सुविधायें मात्र मेगा श्रेणी की कम्प्रेस्ड बायो गैस (सी.बी.जी.) प्लांट पर ही देय होगी।

5. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

6. इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत एमपीआईडीसी में आवेदन प्रस्तुत करने पर स्वीकृत सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर ....

पृ. क्र. IPI/5/0069/2023/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 05 /10 /2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/परिवहन विभाग/पर्यावरण विभाग/किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर, संभाग जबलपुर।
4. कलेक्टर, जिला- जबलपुर।
5. कलेक्टर, जिला- बालाघाट।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स रिलायंस बायो एनर्जी लि., DB City, Corporate Park, 3rd Floor, DB Mall, Arera Hills, M.P. Nagar, Bhopal- 462011.

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग